संख्या-379/2018/543/69-1-2018-97(म0ब0-83)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2018

विषयः शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-आजमगढ़ की 32 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4887/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 08 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ की शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना से सम्बन्धित 32 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-275/2018/543/69-1-2018-97(म0ब0-83)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 206.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं हो सका था। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 को निरस्त करते हुए जनपद-आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ की उक्त 32 परियोजनाओं हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 206.92 लाख (रूपये दो करोड़ छः लाख बानबे हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः...........2

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों,मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

क्रमशः......3

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
3/3/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-379 /2018/543(1)/69-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आजमगढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-379 /2018/543/69-1-2018-97(म०ब०-83)/2016 दिनांक 31 मई, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ़	न०पा०परि० आजमगढ़	मु० हरिवंशपुर में आर०के०बी०के० पेट्रोल पम्प के सामने से बारात घर तक इण्टरलाकिंग सड़क, कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.80	6.40
2	तदैव	तदैव	मु० हरिवंशपुर में नागेन्द्र राय के घर से यशवन्त सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.05	8.525
3	तदैव	तदैव	मु० हरिवंशपुर में अनिल सिंह के घर से विजय राय के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.89	5.945
4	तदैव	तदैव	मु० हरिवंशपुर में वेलईसा लिंक रोड से मान बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.84	5.92
5	तदैव	तदैव	मु० सिधारी पश्चिमी में मंशु के घर से हासिम के घर तक मिट्टी भराई, इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	19.71	9.855
6	तदैव	तदैव	मु० सर्फुद्दीनपुर में प्राथमिक विद्यालय (नगर क्षेत्र) से रेलवे स्टेशन तिराहा तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	18.31	9.155
7	तदैव	तदैव	मु० सर्फुद्दीनपुर में राम भुवाल के प्लाट से गिरधरपुर नाला तक रिटर्निंग वाल, मिट्टी, इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.54	4.27
8	तदैव	तदैव	मु० हरिवंशपुर (लहुरी मॉ) के मन्दिर से पूरब गुप्ता के घर तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	9.44	4.72
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 के मु० हरबंशपुर में रामाधार के घर से इन्द्रजीत के घर होते हुये रमन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.74	4.37
10	तदैव	तदैव	मु० हरिबंशपुर में लहुरी माई मन्दिर से बलवन्त वकील के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.05	8.525
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 के मु० हरवंशपुर में हरिचन के घर से अरूण के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.19	4.595
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 के मो० हरबंशपुर में सोहन के घर से गुड्डु के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क	4.74	2.37

http://shasanadesh.up.nic.in

			का निर्माण कार्य।		
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मो0 हरबंशपुर में सुलचन्द के घर से उमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2.66	1.33
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मु0 हरवंशपुर में राजभान के घर से राजवली के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	7.09	3.545
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मु0 हरवंशपुर में दिनेश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	18.34	9.17
16	तदैव	तदैव	मो0 सर्फुद्दीनपुर में लालसा के घर से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.70	4.35
17	तदैव	तदैव	मु0 सर्फुद्दीनपुर में राजदेव के घर से विजयी के घर होते हुये सीताराम के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.35	3.675
18	तदैव	तदैव	मु0 कुन्दीगढ़ में शहजादे के मकान से हंसराज मल्लाह के घर होते हुये लल्लू सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.91	4.955
19	तदैव	तदैव	मु0 दलसिंगार कटरा में हनुमान अग्रवाल के घर से अव्वासी तथा तौफीक के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.14	2.57
20	तदैव	तदैव	मु0 रैदोपुर काली चौरा में राजेन्दर लाल श्रीवास्तव के घर से नगेश्वर गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.10	4.05
21	तदैव	तदैव	मु0 नरौली में रामसमुझ चौहान के घर से राजा राम चौहान तथा प्रकाश चौहान के घर होते हुए केदार चौहान के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.71	2.855
22	तदैव	तदैव	मु0 मड़यों में मुन्नर निशाद के घर से मछली मार्केट तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.83	8.415
23	तदैव	तदैव	मु0 मड़यों में स्वदेशी स्टेशनरी से शम्भू अग्रवाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.83	8.415
24	तदैव	तदैव	मु0 मड़यों (ठण्डी सड़क) मेन रोड से चौहान भवन तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	21.03	10.515
25	तदैव	तदैव	मु0 सिधारी तिराहा में हड़हा बाबा पिच मार्ग से हनुमान मन्दिर होते हुये पिच रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	25.05	12.525
26	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में लहुरी माई माता के मन्दिर	15.56	7.78

			से सुरेन्द्र मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।		
27	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में राम कवल चौबे के मकान से गायत्री मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.69	5.845
28	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में के0एन0 कुशवाहा के मकान से रामबदन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.08	2.54
29	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में श्री प्रमाश राय के मकान से संजय सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.69	5.845
30	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर के नीवी नई कालोनी में गुलाब राय के घर होते हुये विजय राय व संजय यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15.69	7.845
31	तदैव	तदैव	मु0 टीचर्स कालोनी (जोधीकापुरा) हीरापट्टी में रिजवान के घर होते हुये मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	32.50	16.25
32	तदैव	तदैव	मु0 सिधारी में विशाल सिनेमा हाल के बगल से डॉ0 खान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	19.59	9.795
योग				413.84	206.92

(रूपये दो करोड़ छः लाख बानबे हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in